न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

दावा
1/06/19

तारीख रजू
08.01.2019
उनवान

तारीख निर्णय
31.05.2019

जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 श्री हुरमत व अन्य

.....प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण)

बनाम
मक्को पुत्र श्री कमलू व अन्य

.....अप्रार्थीगण(वादीगण)

(प्रा0 पत्र जेर आर्डर 7 रूल 11 व जा0 दी0 व सक्सेशन 11 जा0 दी0)

उपस्थित अभिभाषकगण–

1. **श्री तैयब हुसैन एडवोकेट – प्रार्थीगण(प्रतिवादी सं0 1)**
2. **श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – अप्रार्थीगण(वादीगण)**

निर्णय

प्रार्थीगण (प्रतिवादी सं0 1) द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्तमान वाद वादीगण के द्वारा मिन प्रतिवादी सं0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के सम्बन्ध में पेश किया गया है, मिन प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है तथा जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है, तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रखते है और ना ही विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है, बल्कि मिन प्रतिवादी सं0 1 की खरीदशुदा आराजी है। कानूनन खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता इसलिए वाद बार बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण (प्रतिवादी सं0 1) का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 की नही है बल्कि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक

उपखण्ड अधिकारी

आराजी है जो उनको अपने बुजुर्ग निवाज खां से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं0 1 व उसकी माता रहीमी ने साजबाज होकरं पैतृक आराजी को कमलू खां से मिलकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकित कराया है, मक्को के पास आमद का कोई साधन नही है और ना ही कमलू को आराजी मुतनाजा को दान व विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। मक्को के नाम विवादित आराजी के विक्रय पत्र बेनामी है, खरीद आराजी भी निवाज खां की अर्जित आराजी थी इसलिए बिला लेनदेन के कमलू खां ने आराजी को मक्को के नाम विक्रय पत्र के द्वारा रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु कराया है। वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वादपत्र पेश करने का कानून में कोई रोक नही है और ना ही विधि से वर्जित है। वाद पत्र वादहेतुक प्रकट नही, वाद का मूल्यांकन व कम स्टाम्प ड्यूटी पर पेश हो तभी आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में विधि से वर्जित है। वादी के वादपत्र में ऐसा कोई कानूनन कमी नही है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तत नही किया है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वर्तमान वाद वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के सम्बन्ध में पेश किया गया है, प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है तथा जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है, तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रखते है और ना ही विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है, बल्कि कमलू खां की स्वयं की स्वअर्जित भूमि रही है। और उसी में से अपनी पुत्री को दानपत्र दिनांक 18.07.1972 पंजीबद्ध दिनांक 28.07.1972 करवाया। मुस्लिम विधि के अनुसार अपनी आराजी में से त्यागपत्र का अधिकार है। चाहे वह पैतृक हो या स्वअर्जित। यहां हिन्दू विधि लागू नही होती है। हाल आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 का साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 0.82

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

हैक्ट0 का साबिक खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से साबिक खसरा नम्बर 60 व 61 का 1/2 भाग व खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 भाग रामजीलाल पुत्र रामपाल ब्राहम्ण साकिन रामगढ से प्रार्थिया (प्रतिवादी सं0 1) ने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.06.1971 तस्दीक दिनांक 28.06.1971 को खरीदा था। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.20 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व हाल आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 0.82 हैक्ट0 साबिक खसरा नम्बर 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 का 1/2 हिस्सा नन्दकिशोर पुत्र ठण्डीराम जाति ब्राहम्ण साकिन रामगढ से प्रार्थिया (प्रतिवादी सं0 1) ने दिनांक 12.06.1971 तस्दीक दिनांक 17.06.1971 को खरीदा था। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 (मक्को) की खरीदशुदा आराजी है। जिस पर वादी दावा लाने का अधिकार नही रखते है। इस प्रकार दावा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत बार्ड बाई लॉ है। क्योकि विवादित आराजी खरीदशुदा तथा दान से प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण (अप्रार्थी) का कोई हक हकूक किसी भी नियम कानून से नही बनता है। कानूनन खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता। वाद को खारिज करने का निवेदन किया गया। वादी (अप्रार्थी) के विद्वान वकील ने अपने बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी ने वादपत्र के जवाब में विधि द्वारा दावा पेश नही करने का ऐतराज नही लिया है। आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के निर्णय में केवल वादपत्र में वर्णित तथ्यों को ही देखना है। वादपत्र के आधार पर ऐसा कोई तथ्य नही है जिससे की दावा आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में खारिज किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरामया जावे। बहस के दौरान वादी (अप्रार्थी) ने निम्न नजीरे पेश की, 2018 (2) आरआरटी 1176, 2018 (2) आरआरटी 1329, 2018 (2) आरआरटी 1455

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया। जिससे प्रतीत होता है कि वर्तमान वाद वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के सम्बन्ध में पेश किया गया है, प्रतिवादी सं0 1 विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है तथा जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है, तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रखते है और ना ही विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है, बल्कि प्रतिवादी सं0 1 की दान पत्र से एवं खरीदशुदा आराजी है। कानूनन खातेदार काश्तकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वाद में वर्णित धाराओं में वाद प्रस्तुत नही कर सकता। वादी (अप्रार्थी) द्वारा 2018 (2) आरआरटी 1176, 2018 (2) आरआरटी 1329, 2018 (2) आरआरटी 1455 पेश की है जो प्रार्थना पत्र पर पूर्णतयां लागू नही होती है। अतः प्रतिवादी सं0 1(प्रार्थी) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का मौजूदा वाद बार बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.05.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/06/19	08.01.2019	31.05.2019
	उनवान	

जाकिर हुसैन पुत्र स्व0 श्री हुरमत व अन्य

.....प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण)

बनाम

मक्को पुत्र श्री कमलू व अन्य

.....अप्रार्थीगण(वादीगण)

(प्रा0 पत्र जेर आर्डर 7 रूल 11 जा0 दी0 व सक्सेशन 11 जा0 दी0)

उपस्थित अभिभाषकगण–

1. **श्री तैयब हुसैन एडवोकेट – प्रार्थीगण(प्रतिवादी सं0 1)**
2. **श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – अप्रार्थीगण(वादीगण)**

पर्चा डिक्री

प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का मौजूदा वाद बार बाई लॉ होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.05.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

31.05.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)